"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
रतनदेवी पत्नी हरीलाल जाति ब्राह्मण		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 184/2021 **GCMS No.** 2021/892

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20/11/2021	वादी श्री रतनदेवी पुत्र प. हरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चितावा द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चितावा में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 ग्राम चितावा पटवार मण्डल रघुनाथपुरा के खाता नम्बर 228 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि रतनीदेवी पत्नी हरीलाल जाति ब्राह्मण दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम रतनदेवी पत्नी हरीलाल जाति ब्राह्मण है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 0516/11038/00263 रतनी मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज जन आधार कार्ड भामाशाह कार्ड 4828658484 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी रघुनाथपुरा भू.अ.नि. कुचामनसिटी एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार कायम जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2022.01.21 13:01:33 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	